

पूर्वोत्तर रेलवे

वाराणसी मण्डल

अधिसूचना

सं०-का/560/एमपीपी/Re-engagement of retired employee

दिनांक-30.01.2020

महाप्रबन्धक महोदय ने वाणिज्य विभाग /पूर्वोत्तर रेलवे में 10(दस)वाणिज्य लिपिकों के (बुकिंग काउन्टर ड्यूटी के लिए) पुनर्नियोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किये हैं। इसके लिए रेल सेवा से उक्त पद /संवर्ग से सेवानिवृत्त कर्मचारी से निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह विशेषरूप से उल्लिखित है कि चयनित उम्मीदवारों को मण्डल रेल प्रबन्धक/वाराणसी/पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्राधिकार में कहीं भी पदस्थ किया जा सकता है।

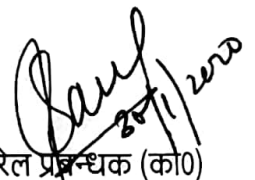
इस प्रयोजन के लिए नामित कमेटी द्वारा उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन सेवा अभिलेख तथा पिछले पांच वर्ष की APAR के आधार पर किया जायेगा। उम्मीदवार के पुनर्नियोजन की जाने वाली श्रेणी/पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी (C-1) में उपयुक्त होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार जहां से सेवानिवृत्त हुआ है वहां से आवेदन सत्यापित कराकर मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक विभाग), पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी में कर्मचारी सुविधा केन्द्र में स्थित बॉक्स में व्यक्तिगत रूप से दिनांक-14.02.2020 तक आवेदन जमा कर सकता है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

Annexure A- General Conditions

Annexure B- Application Proforma & Declaration

आवेदन करने से पूर्व Annexure A में वर्णित आवश्यक नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा Annexure B में दर्शाये प्रारूप को पूर्णतया भरकर आवेदन करें।

अधिसूचना वेबसाइट WWW.ner.indianrailways.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।


कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का०)
वाराणसी

प्रतिलिपि : 1)सूचना पट्ट

2)जनसम्पर्क अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। यह अधिसूचना रेल नेट पर दिनांक को बजे अपलोड कर दिया गया है।

3) मण्डलमंत्री /नरमू ,एससीएसटी एशो0 /अपिव एशो0

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (का०)
वाराणसी

General Conditions

1. Before applying for the post, the retired employees should ensure that he/she fulfils all the eligibility norms.
2. Retired employees applying for the post should not have been covered under the safety related retirement scheme (SRRS/LARSGESS).
3. Their engagement is subject to medical fitness in the appropriate category.
4. Suitability/Competency of the retired employees should be adjudged before such re-engagement and the issue of their safety record as well as the safety and other operational requirements as needed are adequately addressed
5. The maximum age limit of the retired employees applying for the post is below 65 years and in no case should exceed the maximum of 65 years during the period of re-engagement.
6. Monthly remuneration of a retired employee being re-engaged is to be determined by reducing Pension from his/her last pay drawan (i.e Basic Pay+DA)
7. The selection is subject to their being found suitable by the committee constituted for the purpose.
8. Remuneration will be as per the 7th CPC Level/Grade pay to which the retired employees are re-engaged.
09. The Administration is at liberty to terminate their services in case they are found unsatisfactory, without prior notice and they will not have the prescriptive right for continuity in service on monthly remuneration beyond 65 years of age.
10. The engagement of retired employees will be subject to discharge of engaged staff immediately on joining of selected candidates from DRQ/Promotional Quota.
11. Photocopies of documents to be attached:
 - i. Service Certificate.
 - ii. Pension Payment Order (PPO).
 - iii. RELHS card (if available).
13. The scheme will be valid up to 01.12.2020

पूर्वोत्तर रेलवे

वाराणसी मण्डल

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजन किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

पुनर्नियोजन हेतु पद का नाम.....

विभाग.....

1.	नाम		सेवा प्रमाण पत्र में जो फोटो दर्शाया गया है उसी प्रकार का पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो यहां चिपकायें।
2.	पिता का नाम		
3.	जन्मतिथि		
4.	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम		
5.	सेवा अवधि के दौरान कार्य का अनुभव (जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं)		
6.	कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं।		
7.	सेवानिवृत्त तिथि		
8.	पे-बैंड+ग्रेड पे/लेवल----- (7th cpc)		
9.	अंतिम वेतन		
10.	पेंशन		
11.	पत्राचार का पता		
12.	मोबाईल नं०		
13.	दस्तावेज संलग्न किये अथवा नहीं (कृपया हाँ/नहीं लिखें)	सेवा प्रमाण पत्र	
		पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)	
		अंतिम वेतन पर्ची	
14.	क्या आपको कम्प्यूटर ऑपरेट/टाईपिंग करने की जानकारी है?		
15.	यदि हाँ, तो हिंदी अथवा अंग्रेजी		

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पूर्ण जानकारी/विवरण सही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन सम्बंधित समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं कानून का मैं पालन करूँगा/करूँगी।

दि०-

हस्ताक्षर.....

नाम.....

घोषणा पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिये गये सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। यदि कोई विवरण/सूचना गलत दी जाती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा और इस गलत कृत्य के लिए मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

(क) मैं मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियोजन के लिए इच्छुक हूँ जो इस शर्त के तहत होगा कि मासिक पारिश्रमिक मेरी सेवानिवृत्ति के समय उपरोक्त दर्शाये गये अन्तिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा या रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा।

‘या’

निम्न पद पर कार्य करने के इच्छुक:-

(ख) उपरोक्त के साथ उच्च वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल में कार्यरत कर्मचारी यदि निम्न वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल में कार्य करने के इच्छुक हैं तो उसके उच्च वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल में पदोन्नति के ठीक पूर्व के वेतनमान/ग्रेड पे/लेवल के वेतन दर के आधार पर मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया जायेगा, जो मुझे स्वीकार्य है।

मुझे जानकारी है कि असंतोषजनक निष्पादन के कारण किसी भी समय मेरी सेवाएं बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

मैंने अपने सेवा प्रमाणपत्र और पी.पी.ओ. की छायाप्रति संलग्न की है।

मैं पुनर्नियोजन की सभी नियमों व शर्तों से सहमत हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

पता:-